

5/5/26

उपरोक्त अनुपस्थित। न्यायालय समय में कोई भी
आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं
आया। अतः वादपत्र / प्रा० पत्र अदम हाजिर एवं
अदम पैरों में इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली फौसला शमार न. से कम की जाकर
दाखिल दफ्तर हो।